उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति

का

133वां प्रतिवेदन

[यह प्रतिवेदन ऊर्जा, सिंचाई, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, लघु उद्योग, पर्यावरण, पंचायती राज, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नियोजन, कारागार, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, संस्कृति, संसदीय कार्य, उच्च शिक्षा एवं गृह (पुलिस) विभागों के वर्ष 1992 से 2014 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति ने पूर्ण मान लिया है।]

(दिनांक 16 मार्च, 2015 को सदन में प्रस्तुत किया गया)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

समिति (सामान्य) अनुभाग-2

विषय-सूची

क्रम-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
1	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2012-2013) के सदस्यों की सूची ...	क
2	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2013-2014) के सदस्यों की सूची ...	ख
3	सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2014-2015) के सदस्यों की सूची ...	ग
4	उपस्थापन	ङ-छ
5	प्रतिवेदन	1-125

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2012-2013) के सदस्यों की सूची

क्र0-सं0	नाम	जनपद	पद
1	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर	सभापति
2	श्री आलमबदी	आजमगढ़	सदस्य
3	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
4	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
5	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
6	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
7	श्री दीपक कुमार (उन्नाव)	उन्नाव	सदस्य
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री प्रभुदयाल वाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
10	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
11	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
12	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
13	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
14	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
15	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य

विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्री चन्द्र पाल लाल	उप सचिव

नोट :-पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-1523/वि0स0/प0का0/14(प)/2012, दिनांक 24 अगस्त, 2012 द्वारा समिति का गठन हुआ।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2013-2014) के सदस्यों की सूची

क्र0-सं0	नाम	जनपद	पद
1	श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर	सभापति
2	श्री मो0 इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
3	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
4	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
5	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
6	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
***7	श्री दीपक कुमार (उन्नाव)	उन्नाव	सदस्य
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री प्रभुदयाल वाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
10	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
11	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
12	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
*13	श्री बावन सिंह	गोण्डा	सदस्य
**14	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
15	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
16	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य

विधान सभा के अधिकारीगण

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्री चन्द्र पाल लाल	संयुक्त सचिव
4-श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव
5-श्री लल्लू राम विश्वकर्मा	अनु सचिव

नोट :-पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2582/वि0स0/प0का0/7(प)/2013, दिनांक 31 जुलाई, 2013 द्वारा समिति का गठन हुआ।

*पटल कार्यालय की अधिसूचना सं0-2714/वि0स0/प0का0/7(प)/2013, दिनांक 29 अगस्त, 2013 द्वारा विधान सभा की लोक लेखा समिति के रिक्त पद पर श्री बावन सिंह (पूर्व सदस्य, आश्वासन समिति) को नाम-निर्देशित किये जाने के फलस्वरूप एक पद रिक्त हो गया।

एवं

**पटल कार्यालय की अधिसूचना सं0-2715/वि0स0/प0का0/7(प)/2013, दिनांक 29 अगस्त, 2013 द्वारा श्री मनीष असीजा को आश्वासन समिति के एक रिक्त पद पर सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित किया गया।

***पटल कार्यालय की अधिसूचना सं0-17/वि0स0/पटल/18(प)/2012, दिनांक 27 जनवरी, 2014 द्वारा श्री दीपक कुमार की मृत्यु की सूचना के फलस्वरूप दिनांक 24 जनवरी, 2014 से एक पद रिक्त हो गया।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (वर्ष 2014-2015) के सदस्यों की सूची

क्र0-सं0	नाम	जनपद	पद
1	श्री सतीश महाना	कानपुर	सभापति
2	श्री प्रभुदयाल वाल्मीकि	मेरठ	सदस्य
3	श्री मो0 इरफान	मुरादाबाद	सदस्य
4	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	बदायूं	सदस्य
5	श्री गोमती यादव	लखनऊ	सदस्य
6	श्री गोरख पासवान	बलिया	सदस्य
7	श्री आशीष यादव	बदायूं	सदस्य
8	श्री पीतम राम	पीलीभीत	सदस्य
9	श्री गयाचरण दिनकर	बांदा	सदस्य
10	श्री दीपक पटेल	इलाहाबाद	सदस्य
11	श्री जय प्रकाश निषाद	गोरखपुर	सदस्य
12	श्री मनीष असीजा	फिरोजाबाद	सदस्य
13	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद	सदस्य
*14	श्री दलवीर सिंह	अलीगढ़	सदस्य
15			

<u>विधान सभा के अधिकारीगण</u>

1-श्री प्रदीप कुमार दुबे	प्रमुख सचिव
2-श्री नरेश चन्द्र	विशेष सचिव
3-श्रीमती मधुबाला श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव

नोट :-पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2222/वि0स0/प0का0/10(प)/2014, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 द्वारा समिति का गठन हुआ।

* पटल कार्यालय की अधिसूचना/प्रकीर्ण सं0-2438/वि0स0/प0का0/10(प)/2014, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 द्वारा श्री दलवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा को समिति में नामित किया गया।

उपस्थापन

उपस्थापन

मैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 133वां प्रतिवेदन जो ऊर्जा, सिंचाई, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, लघु उद्योग, पर्यावरण, पंचायती राज, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नियोजन, कारागार, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, संस्कृति, संसदीय कार्य, उच्च शिक्षा एवं गृह (पुलिस) विभागों से सम्बन्धित है, और जिसे समिति ने अपनी दिनांक की बैठक में अंगीकार किया है, प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन में उन 172 आश्वासनों की स्थिति अंकित की गयी है, जो वर्ष 1992 से 2014 तक की अवधि में शासन द्वारा सदन में समय-समय पर दिये गये थे। इन आश्वासनों पर समिति ने दिनांक 09-09-2012 से 28-04-2014 के मध्य अपनी बैठकों में विचार किया तथा शासन द्वारा आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में की गई कार्यवाही का विश्लेषण एवं विभागीय प्रमुख सचिवों/सचिवों का साक्ष्य लेने के उपरान्त सन्तोष व्यक्त करते हुये आश्वासनों को पूर्ण माना है अथवा शासन द्वारा की गई कार्यवाही को सन्तोषजनक मान कर उन्हें जारी न रखने का निर्णय लिया है। उक्त अवधि के उन लम्बित आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिन पर शासन के उत्तर से समिति संतुष्ट नहीं है और उन्हें पूर्ण नहीं माना है।

समिति इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिये प्रमुख सचिव, विधान सभा तथा समिति से सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करती है।

विधान भवन, लखनऊ।
दिनांक : 2015

सतीश महाना,
सभापति,
सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति,
उत्तर प्रदेश, विधान सभा।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 133वां प्रतिवेदन वर्ष 1992 से 2014 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है जिन पर समिति ने दिनांक 09-09-2012 से 28-04-2014 के मध्य अपनी विभिन्न बैठकों में विचार किया तथा जिनकी पूर्ति के सम्बन्ध में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है और जिन्हें समिति ने पूर्ण मान लिया है। उक्त सूची में उन आश्वासनों का भी उल्लेख किया गया है जिनके संबंध में शासन द्वारा कृत कार्यवाही से समिति संतुष्ट है और उन पर अग्रेतर कार्यवाही/विचार करना आवश्यक नहीं समझा है।

ऊर्जा विभाग

1	2	3	4

आश्वासन संख्या	तिथि, प्रश्न संख्या, सदस्य का नाम तथा विषय	आश्वासन	शासन द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4
		ऊर्जा-2	
425/2000	28-4-2000 : अतारां0-186 श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि- महाप्रबन्धक, लेसा लखनऊ के अधीन रिकार्ड के गायब करने एवं जलाये जाने के प्रकरण की जांच में पाये जाने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-8-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 12 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। जो दोषी श्री रमेश चन्द्र, तत्कालीन लेखाकार शेष रह गये थे, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही कर दी गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा-3	
697/2000	12-5-2000 : अतारां0-47 श्री राधेश्याम सिंह- जनपद कुशीनगर में निर्वाचन क्षेत्र रामकोला के ग्राम सभा चन्दरपुर के अहिरटोली बोलिया टेकआटार ग्राम सभा सिंहोखा जुमिया ग्राम सभा लबगारपुर भउलिया के टोलामिया यादव में विद्युतीकरण को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 16-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर प्रमुख सचिव ने यह अवगत कराया कि 28 दिसम्बर, 2004 तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्वांचल विकास निधि में उपलब्ध धनराशि से कराया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ऊर्जा-3	
709/2000	12-5-2000 : अतारां0-110 श्री गोपाल कृष्ण- पीलीभीत के पूरनपुर नगर में व्यवसाइयों द्वारा 60 एवं 110 के0वी0 के निजी जनरेटर लगवा कर छोटे व निम्न वर्ग के व्यवसाइयों को बिजली कनेक्शन देकर अर्जित किये जा रहे धन की जांच एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 16-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रश्नगत मामले से राज्य नियामक आयोग को अवगत करा दिया गया है और उनके द्वारा ही कार्यवाही की जानी है। अतः विचारोपरान्त समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा-3	
710/2000	12-5-2000 : अतारां0-111 श्री उबैदुर्रहमान- विधान सभा क्षेत्र उतरौला के ग्राम पंचायत केधोलिया सलेमपुर तथा इटावापुर चवई बुजुर्ग एवं मोहनजीत में 63 के0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर लगाये जाने हेतु कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 16-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि ग्राम कैथोलिया सलेमपुर में 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर जनवरी, 2001 में लगाया जा चुका है। विचारोपरान्त समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		ऊर्जा	
789/2000	17-5-2000 : अल्पसू0तारां0-1 श्री गोरखनाथ पाण्डेय- प्रदेश में अबाध बिजली आपूर्ति हेतु नये विद्युत गृहों को स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में विचाराधीन मामले में कार्यवाही।	जी हां।	दि0 16-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा का ऊर्जीकरण दि0 5 अप्रैल, 2010 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र जंगबहादुरगंज का ऊच्चीकरण 12 मई, 2001 को तथा 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मितोली का ऊर्जीकरण माह फरवरी, 2001 में हो चुका है। मजगवां में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं पाया गया। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा	
835/2000	17-5-2000 : नियम-51 श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया- विद्युत नगरीय वितरण खण्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा लेसा के अवर अभियंता श्री सुरेश बहादुर सिंह द्वारा आकूत सम्पत्ति अर्जित करने श्री नन्दलाल अधीक्षण अभियंता द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक् निर्वहन न करने के सम्बन्ध में।	किया जा रहा है।	दि0 16-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री नन्द लाल अधीक्षण अभियंता दोषी पाये गये तथा उनको निन्दा प्रविष्टि का दण्ड दिया गया। विचारोपरान्त समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ऊर्जा-2	
869/2000	20-10-2000 : अतारां0-98 श्री जय प्रकाश, श्री कोविद कुमार, श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया- देयकों को तत्काल रोकने सम्बन्धित मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, ऊर्जा को सम्बोधित श्री हरदेव सिंह, विधायक के पत्र दिनांक 29-1-2000 पर कार्यवाही।	कार्यवाही हेतु भेजा गया है।	दि0 30-8-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री उमेश चन्द्र जैन जो दि0 17-4-2011 को दिवंगत हो गये है, पर लगाये गये आरोप अप्रमाणित पाये गये तथा इनको दोषमुक्त कर दिया गया। उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा-2	
870/2000	20-10-2000 : अतारां0-99 श्री हरदेव सिंह एवं श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया- उ0प्र0 विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लम्बित मामलों को फाइनल करने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 30-8-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लम्बित मामलों को फाइनल करने की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा-

870ए/2000	20-10-2000 : अतारां0-106 श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया- निदेशक, पारेषण यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा करोड़ों की क्षति एवं फर्मों को लाभ पहुंचाने विषयक श्री हरदेव सिंह, विधायक के पत्र दिनांक 1-7-2000 में उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही।	निर्देश दे दिये गये है।	दि0 30-8-2013 को बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री हरदेव सिंह, विधायक का पत्र ऊर्जा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है इसलिये इस पर कार्यवाही करना संभव नहीं है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि प्रमुख सचिव जो पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष हैं अपने विभाग में मा0 विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों के पत्रों को रखने की व्यवस्था की समीक्षा करके इसको सुदृढ़ करेंगें।

ऊर्जा-3

872/2000	20-10-2000 : अतारां0-115 श्री आचार्य रामदेव वैश्य- विद्युत चोरी व ढीले तारों को ठीक किए जाने के सम्बन्ध में विधायक श्री सिंहासन सिंह के पत्र दिनांक 12-7-2000 पर कार्यवाही।	ठीक किया जा रहा है।	दि0 30-8-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पावर कारपोरेशन पहली सितम्बर से दिसम्बर तक एक अभियान प्रारम्भ करेगा और प्रत्येक डिस्काम सप्ताह में एक दिन हर ग्राम सभा में बैठ कर उपभोक्ताओं की परेशानी को हल करेगा। शहर के बाहर नई बसी कालोनियों में जो बांस बल्ली लगाकर कनेक्शन लिये हैं, की समस्या के समाधान के लिये नई योजना प्रस्तावित की जा रही है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ऊर्जा-2	
876/2000	20-10-2000 : अतारां0-128 श्री अजय कुमार पोइया- राजाजीपुरम् विद्युत उपकेन्द्र से पारा कालोनी के उक्त निर्मित विद्युत लाइन से विद्युत की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	जोड़ दी जायेगी।	दि0 30-8-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विद्युत लाइन निर्मित कर दिनांक 11-1-2001 को विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा-3	
417/2001	4-5-2001 : अतारां0-95 श्री आर0 के0 सिंह- विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 99-2000 में विधान सभा क्षेत्र कर्वी के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण को पूरा कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कराया जा रहा है।	दि0 30-8-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पांच गांवों का विद्युतीकरण करा लिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा-3

431/2001	4-5-2001 : अतारां0-129 श्री श्यामदेव राय चौधरी- वाराणसी में विद्युत वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ करने सम्बन्धी निदेशक वितरण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-7-2000 पर कार्यवाही।	किया जायेगा।	दि0 30-8-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 132 के0वी0 मंडुआडीह उपकेन्द्र से 33 के0वी0 वाराणसी तृतीय तथा 33 के0वी0 भदैनी फीडर सुन्दरपुर पेट्रोल के पास तक एक ही पोल पर डबल सर्किट के रूप में आये हैं। दोनों पोषको को अलग-अलग करने का प्रयास किया गया किन्तु रास्ते में मकान बन जाने तथा स्थानीय अवरोधों के कारण संभव नहीं हो सका। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा-1

899/2001	18-5-2001 : तारां0-8 श्री श्यामदेव राय चौधरी- राज्य विद्युत उत्पादन निगम इकाइयों के उत्पादन ठप्प होने की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यान्वित किया जायेगा।	दि0 16-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि हरदुआगंज में 8 नंबर इकाई की सी0ओ0डी0 हो चुकी है, यहां से 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है 15 नंबर इकाई इस्टेबिल हो चुकी है तथा उत्पादन दे रही है। इकाई संख्या-7 के सम्बन्ध में प्रयासरत हैं व इसका निराकरण करने जा रहे है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ऊर्जा-3	
938/2001	18-5-2001 : अतारां0-98 श्री आर0 के0 सिंह पटेल- प्रस्तावित ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।	कराया जायेगा।	दि0 16-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद चित्रकूट, विधान सभा क्षेत्र कर्वी में चयनित पांच ग्रामों में विद्युतीकरण वर्ष 2005 से 2007 के बीच कराया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा-1	
951/2001	18-5-2001 : अतारां0-151 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- वित्तीय सहायता प्राप्त होते ही 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पट्टी का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रारम्भ कर दिया जायेगा।	दि0 16-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद प्रतापगढ़ में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण करके दि0 30-10-2007 को ऊर्जीकृत कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा–3

1151/2001	25-5-01 : तारां0-2 श्री राम औतार शाक्य- जिला योजनान्तर्गत 5 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा पीलीभीत के ग्रामों बलरामपुर पिपरा खुदार में विद्युतीकरण की कार्यवाही।	कराया जायेगा।	दि0 30-8-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जिला योजनान्तर्गत 5 ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य वर्तमान में आई स्थायी नीति के अन्तर्गत 2015-16 में शामिल हो जायेंगे। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तृतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत यदि किसी योजना में जनपद पीलीभीत के ग्राम पिपरा खुदार में विद्युतीकरण नहीं हो पाया है तो वह इसमें शामिल कर दिया जायेगा। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा–3

1160/2001	25-5-01 : अतारां0-10 श्री अरिमर्दन सिंह- मा0 विधायक द्वारा संस्तुति किये जाने पर प्रश्नगत ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-8-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मा0 विधायक ने संस्तुति नहीं की इसलिये विद्युतीकरण नहीं हुआ। जिला उन्नाव को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में विद्युतीकरण हेतु चयनित कर लिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ऊर्जा-3	
1183/2001	25-5-2001 : अतारां0-93 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4-5-2000 पर प्रस्तावित कार्यवाही को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तावित है।	दि0 30-8-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि चोरी किये गये तारों को लगाने का कार्य दि0 31-5-2001 को पूर्ण कर दिया गया है। लाइन में विद्युत प्रवाह चालू है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा विभाग	
356/2004	5-8-04 : नियम-51 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण कराया जाना।	कराया जायेगा।	दि0 16-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद प्रतापगढ़ पर 2x20 एम0वी0ए0 परिवर्तक सुचारु रूप से कार्यरत है जिन पर भार क्रमशः 15-15 एम0वी0ए0 है। उपरोक्त उपकेन्द्र पर स्थापित प्रथम 20 एम0वी0ए0 परिवर्तक दि0 25-3-2007 तथा एडिशनल (अतिरिक्त) 20 एम0वी0ए0 परिवर्तक दि0 14-2-2011 को ऊर्जीकृत कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा विभाग

118/2008	26-2-08 नियम-56 श्री प्रदीप माथुर- मथुरा-वृन्दावन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा ए0पी0डी0आर0पी0 स्कीम में विद्युत व्यवस्था हेतु स्वीकृत 25 करोड़ रुपये से कार्य शुरू कराया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 16-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मथुरा, वृन्दावन के शहरी क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था का कार्य कराये जाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ए0पी0डी0आर0पी0 योजना में मथुरा, वृन्दावन के दोनों शहरी क्षेत्रों में रु0 29.98 करोड़ के कार्य कराकर योजना का क्रियान्वयन दि0 30-9-2008 तक पूर्ण कर लिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

ऊर्जा विभाग

149/2008	28-2-08 : नियम-56 डा0 अजय कुमार, श्री हुकुम सिंह एवं श्री मदन चौहान- जनपद बागपत, मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद के विद्युत उपभोक्ताओं एवं किसानों का उत्पीड़न तथा नलकूप के विद्युत संयोजन हेतु विलम्ब से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-8-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि बिजली के मीटर की चेकिंग के समय किसानों की मौजूदगी की व्यवस्था पहले से है। जहां तक डार्क ब्लाक घोषित है वहां कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। अगर पहले से कनेक्शन हो तो इसकी दरों का अधिकार विद्युत नियामक आयोग को होगा। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		ऊर्जा-3	
79/2010	8-2-2010 : अल्पसूचित प्रश्न श्री सतीश महाना व श्री राजाराम त्यागी- प्रदेश में विद्युत उत्पाद क्षमता में वृद्धि करने की योजना के सम्बन्ध में।	प्रस्तावित है।	दि0 16-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विद्युत पैदावार बढ़ाने के लिये सरकार प्रयासरत है और यह सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में को-जेनरेशन के माध्यम से 1062 मेगावाट की क्षमता स्थापित हो चुकी है। समिति ने संतोष व्यक्त करते हुए आश्वासन को ड्राप किया।
		ऊर्जा-3	
11/2012	30-5-2012 : तारां0-1 श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, डा0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र- प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना पर विचार।	कार्यवाही की जा रही है।	इस आश्वासन की प्रकृति तथा आ0सं0-79/2000 एक ही प्रकार का है। अतः इस आश्वासन को समिति ने ड्राप किया।

सिंचाई विभाग

1	2	3	4

1	2	3	4
		सिंचाई-3	
341/99	24-2-99 अतारां0-7 श्री विनोद मणि- ड्रेनेज प्रखण्ड प्रथम गोरखपुर के अधीन राप्ती नदी पर बने बंधे में ली गई भूमि के मुआवजे का भुगतान।	भुगतान किया जायेगा।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया गया कि मुआवजों के सम्बन्ध में काश्तकारों को स्पीड पोस्ट द्वारा सूचित किया गया। मुनादी कराई गई। अखबारों में प्रकाशन कराके सूचित किया गया। दैनिक समाचार-पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया किन्तु अभी पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। समिति ने आश्वासन को इस निर्देश के साथ ड्राप किया कि अवशेष मुआवजे की धनराशि को रिजर्व रखा जाय तथा काश्तकारों की मांग पर पैसे का भुगतान किया जाय।
		सिंचाई-5	
1148/99	24-3-99 तारां0-2 श्री राजधारी- बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त राजकीय नलकूपों की नालियों की मरम्मत।	निर्देश दिये गये हैं।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि 22 नलकूपों में 17 नलकूपों की बाढ़ से क्षतिग्रस्त नालियां तत्समय ठीक करा दी गई थीं और शेष 05 नलकूपों की नालियां वर्ष 2003-04 में ठीक कराई गई थीं। उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई-5	
1152/99	24-3-99 तारां0-17 श्री बाल चन्द्र मिश्र- ग्राम सभा खपटिहा कला (बोदा) में सरकारी नलकूप सं0-116 के असफल बोरिंग की जांच एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही तथा नलकूप का पुनः निर्माण।	विचाराधीन है।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि असफल बोरिंग को दुबारा से पुनः निर्माण करा कर काश्तकारों को नलकूप के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। दोषी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो पाई। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-3	
1156/99	24-3-99 अतारां0-13 श्री विजय पाल सिंह- मथुरा के माट ब्रांच गंगा नहर हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान।	नियमानुसार की जाएगी।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जितने भी काश्तकार थे, उन सभी को भूमि के प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-9

1160/99	24-3-99 अतारां0-23 श्री हरदेव सिंह- शिकायती-पत्रों पर जांच एवं कार्यवाही।	विचाराधीन है।	दि0 30-4-2013 की बैठक में विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि दोषी कर्मचारियों को दण्ड दिया गया है तथा जो दोषी नहीं पाये गये उनको दोषमुक्त भी किया गया। जैसे श्री तिलक राम मोगा। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-7

1272/99	14-7-99 तारां0-1 श्री सौलत अली- सिंचाई संघ के ज्ञापन दिनांक 28-12-98 में मांगी गई सात सूत्रीय मांगों पर कार्यवाही।	विचाराधीन है।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि सिंचाई विभाग में कार्यरत सींचपाल, नलकूप चालक एवं सींच पर्यवेक्षक संवर्ग के कर्मियों के भत्तों को पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता को उपलब्ध कराया गया था जिस पर विभागीय अधिकारियों तथा वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा विचार-विमर्श हो गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई-10	
1176/99	24-3-99 अतारां0-92 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- लघु डाल नहर उपकेन्द्र शाहजहांपुर में एस0डी0ओ0 के विरुद्ध धन के दुरुपयोग की जांच।	जांच की जा रही है।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जांच आख्या में शिकायती-पत्र में अंकित सभी शिकायतें निराधार पाये जाने के कारण शासन द्वारा प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-10	
1279/99	14-7-99 अतारां0-10 श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना- अधिशासी अभियन्ता भवन निर्माण खण्ड-2 लखनऊ में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर की गई नियुक्तियों में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि श्री महीप कुमार मौर्या सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अपना त्याग-पत्र दे दिया गया और उसे स्वीकार भी कर लिया गया। इसके अलावा जो भी लोग दोषी थे उनके विरुद्ध कार्यवाही कर दी गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-7

1280/99	14-7-99 अतारां0-13 श्री नरेन्द्र सिंह शिशोदिया- सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं से सम्बन्धित मजदूर संघ के महामंत्री के पत्रों पर कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि चार पत्रों में से पहले पत्र पर नलकूप चालक संघ जौनपुर को नलकूप कालोनी, जौनपुर में रिक्त आवास सं0-1/5 आवंटित कर दिया गया है। दूसरे पत्र के क्रमांक-01, 3, 4 पर अंकित कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा क्रमांक-2 पर अंकित कर्मचारी दिवंगत हो चुके हैं। तीसरे पत्र में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दि0 27-8-99 को दिये गये आदेश के अनुसार श्रीराम को समस्त सेवा लाभ विभाग द्वारा दिये जा चुके हैं। चौथे पत्र के सम्बन्ध में श्री राजमणि यादव जिला मंत्री का वेतन माह नवम्बर व दिसम्बर, 98 का भुगतान माह 2/99 में कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-7

1182/99	24-3-99 अतारां0-113 श्री अजय कुमार पोइया- सिंचाई विभाग के सींचपाल गोपालदास एवं मुंशी नत्थी लाल के विरुद्ध कार्यवाही।	निर्देश दे दिये गये हैं।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि सींचपाल कभी पाडल क्षेत्र में तैनात नहीं रहे हैं। शिकायत भी कई महीने देर से की गई और जांच में लगाये गये आरोपों की पुष्टि भी नहीं हुई। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई-4	
1297/99	14-7-99 अतारां0-71 श्री धर्मज्ञ मिश्र- जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज में समुखोर ठकुरी खेड़ा के बीच निकलने वाले नाले पर पुलिया का निर्माण।	पूर्ण हो जायेगा।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि पुलिया का निर्माण वर्ष 2002 में पूर्ण किया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-3	
218/2001	1-5-01 अतारां0-11 श्री समर पाल सिंह- जनपद मथुरा की तहसील मांट की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान।	भुगतान किया जा सकेगा।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि भूमि के प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में प्रतिकर का कोई भी भुगतान अवशेष नहीं है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-5

234/2001	1-5-01 अतारां0-93 श्री राम कुमार एडवोकेट- जनपद उन्नाव में राजकीय बन्द नलकूपों को ठीक कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि विद्युत दोष से बन्द 14 नलकूपों को, दोष दूर कराकर 26 अक्टूबर, 2001 से चालू करा दिया गया है। 7 असफल नलकूपों में से 2 नलकूपों को पुनः रि-बोर कराकर चालू करा दिया गया है एवं 5 नलकूपों को परिस्थितियों के अनुसार परित्याग कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-4

258/2001	1-5-01 अतारां0-175 श्री राम औतार शाक्य- जनपद मैनपुरी एवं एटा में बेवर फीडर सिंचाई परियोजना को पूरा कराये जाने का लक्ष्य तथा कार्य प्रगति।	सम्भव हो सकेगा।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2002-03 में कुल 256.00 लाख रुपये प्राप्त हुये थे जिसमें से 10 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान भूमि प्रतिकर के लिये किया गया तथा शेष धनराशि से परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करा दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई-4	
1022/2001	22-5-01 अतारां0-44 श्री राम शंकर पाल- जिला ग्राम्य विकास अधिकरण संतकबीर नगर से धन के प्राप्त होने पर पुलिया का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में।	करा दिया जायेगा।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2011-12 में जिला अभिकरण संतकबीर नगर द्वारा विधायक निधि से पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-5	
1026/2001	22-5-01 अतारां0-53 श्री मो0 मुकीम- हौदा तालाब सं0-70 के जल निकासी हेतु नाले की सफाई के सम्बन्ध में।	सफाई करायी जा रही है।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2003 में नाले की सफाई करा दी गई थी एवं नाले के ऊपर पुल का निर्माण भी करा दिया गया था। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-5

1056/2001	22-5-01 अतारां0-155 श्री आचार्य रामदेव वैश्य- घाघरा नदी के रौनाही तटबन्ध सुरक्षित क्षेत्र में बसे प्रश्नगत ग्रामों के निकट बांध को नदी की कटान से बचाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित दो ठोकरों का निर्माण।	प्रस्तावित किया गया है।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि 2 ठोकरों का निर्माण होना था जबकि विभाग द्वारा 4 ठोकरों का निर्माण वर्ष 2007-08 में करा दिया गया है एवं तटबन्ध पूर्णतया सुरक्षित है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई-4

1241/2001	29-5-01 अतारां0-17 श्री राम औतार शाक्य- प्रश्नगत बन्द पड़े रजवाहा की सिल्ट सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में।	जी हां।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि सिल्ट की सफाई वर्ष 2001-02 में करा दी गई है और पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई-1	
1246/2001	29-5-01 अतारां0-31 श्री योगेन्द्र सिंह- अनियमित तरीके से अधिकारी/ कर्मचारियों का वेतन, मकान किराया भत्ता रोकने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही।	जी हां।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जिन लोगों का वेतन/मकान किराया भत्ता रोका गया था उनका भुगतान हो गया है। प्रकरण में दोषी पाये गये श्री प्रकाश, अधिशासी अभियन्ता की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दि0 30-6-2001 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है लेकिन इनका भी अवशेष भुगतान हो गया है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		सिंचाई-10	
6/2003	4-3-03 अतारां0-3 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- नलकूप खण्ड शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, स0वि0स0 के पत्र दिनांक 27-7-02 पर कार्यवाही किया जाना।	आदेश दे दिये गये हैं।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि श्री हरिओम प्रकाश, तत्कालीन सहायक अभियन्ता एवं श्री आर0डी0 शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता दोनों रिटायर हो चुके हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

सिंचाई अनु0-3

188/04	27-7-2004 अतारां0-27 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- ग्राम निगोही, जनपद शाहजहांपुर स्थित सिंचाई विभाग की भूमि गाटा संख्या-960 पर से अवैध कब्जा हटाया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा हटा दिया गया है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया उस भूमि पर दुबारा नाजायज कब्जा न हो इसलिये विभाग तत्काल आवश्यक कार्यवाही करे तथा उससे समिति को अवगत कराये।

सिंचाई-7

568/2005	22-11-05 अतारां0-51 श्री रामकरन आर्य- सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में वर्ष 2003 में आशुलिपिकों के पदों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। नियुक्ति आदेश भी हो गये हैं और लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		सिंचाई-	
168/2006	4-12-06 नियम-51 श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह- जनपद देवरिया के रूद्रपुर क्षेत्र में वर्ष 1998 तथा 2001 की प्रलयकारी बाढ़ में क्षतिग्रस्त तटबन्धों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि पिछली बैठक में दिये गये निर्देशानुसार मा0 सदस्य श्री जय प्रकाश निषाद ने सम्बन्धित स्थान का निरीक्षण कर लिया है और वे कम से संतुष्ट हैं। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास

1	2	3	4

1	2	3	4
		चीनी उद्योग	
1271/99	13-7-99 नियम-56 श्री राम सिंह सैनी- गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान।	किया जायेगा।	दि0 12-12-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि महालक्ष्मी शुगर मिल इकबालपुर द्वारा पेराई सत्र, 1998-99 के समस्त बकाया गन्ने का भुगतान कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-3	
1291/99	14-7-99 अतारां0-39 श्री राम ललित चौधरी- बस्ती के मुण्डेरवा चीनी मिल एवं संतकबीरनगर जिले की चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 12-12-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि खलीलाबाद मुण्डेरवा तथा वाल्टरगंज तीनों चीनी मिलों द्वारा गन्ने का भुगतान किया जा चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चीनी उद्योग	
1415/99	3-1-2000 नियम-56 श्री जगदम्बिका पाल- जनवरी, 2000 के अन्त तक गन्ना किसानों के पिछले बकाया मूल्यों के भुगतान कराने एवं भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ कार्यवाही तथा भदोही एवं नवाबगंज बन्द चीनी मिल के कर्मचारियों के भुगतान के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 12-12-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नवाबगंज चीनी मिल के कर्मचारियों का भुगतान हो गया है। किसानों का अवशेष धन रु0 1,12462.62 निगम के पास जमा है। इसके लिये समिति ने सुझाव दिया कि इस धनराशि का एक अलग हेड बना दिया जाय तथा जब काश्तकार अपना पैसा लेने आये तो उसे उसकी धनराशि दे दी जाय। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-3	
1449/99	5-1-2000 तारां0-8 श्री रामतेज यादव- चिलवरिया चीनी मिल बहराइच द्वारा गन्ना कृषकों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान।	कराया जायेगा।	दि0 12-12-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को दिलाया जा चुका है। वर्तमान में चीनी मिल चिलवरिया पर उक्त सत्र का कोई मूल्य अवशेष नहीं है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

चीनी उद्योग-3

1452/99	5-1-2000 तारां0-15 श्री राम ललित चौधरी- प्रदेश की घाटे में चल रही गन्ना समितियों को क्रियाशील बनाने की कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 12-12-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सरकार द्वारा कई चरणों में भुगतान हुआ है। समितियों को दो चरणों में 18 करोड़ 7 लाख तथा एक बार 16 करोड़ रुपये का ब्याज रहित ऋण दिया गया जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देय का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त घाटे में चल रही समितियों के कर्मचारियों को लाभ में चल रही समितियों को स्थानान्तरित किया गया। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

चीनी उद्योग-2

642/2000	10-5-2000 अतारां0-168 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- सहकारी चीनी मिल तिलहर के मजदूरों की कतिपय समस्याओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।	जांच करायी जा रही है।	दि0 12-12-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि अनियमित रूप से की गई पदोन्नतियों एवं विनियमितीकरण के बारे में जांच कराई गई तथा दोषी पाये गये 3 संघ के कर्मचारी तथा 2 मिल के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चीनी उद्योग-3	
796/2000	17-5-2000 अतारां0-22 श्री दीप लाल भारती- राज्य चीनी निगम इकाई के खड्डा छितोनी, लक्ष्मीगंज कुशीनगर व धुधली महाराजगंज के गन्ना किसानों की समितियों की 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 में प्राप्त होने वाले कमीशन से समायोजित कर भुगतान कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	भुगतान कराया जायेगा।	दि0 12-12-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जो धनराशि व्यावर्तित की गई थी उतनी धनराशि सरकार ने ऋण के रूप में दे दी है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-2	
132/2001 164/2001 468/2001 सम्बद्ध।	25-4-2001 अतारां0-65 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- चीनी मिल तिलहर शाहजहांपुर में मुख्य गन्ना अधिकारी द्वारा किये जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 12-12-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच में गन्ना सूख निर्धारित मानक से अधिक होने के लिये दो लोगों ने सेन्टर इंचार्ज और परिवहन ठेकेदार को जिम्मेदार पाया गया। इसमें रु0 39,834.06 की रिकवरी परिवहन ठेकेदार तथा रु0 12,559.94 की रिकवरी सेंटर इंचार्ज से कर ली गई है। समिति उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		चीनी उद्योग-3	
169/2001	30-4-01 अल्पसू0 प्रश्न श्री राम ललित चौधरी- विगत वर्षों का गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान कराने की कार्यवाही।	भुगतान किया जा रहा है।	दि0 12-12-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 2 किश्तों में 18.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया। उक्त धनराशि समिति की मांग के अनुसार गन्ना समितियों को उपलब्ध कराई गई और गन्ना समितियों द्वारा कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-3	
474/2001	9-5-01 अतारां0-48 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर के वैज्ञानिकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	विचाराधीन है।	दि0 12-12-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद् के वैज्ञानिकों को पुनरीक्षित वेतनमान शासन के आदेश दि0 20-5-2004 द्वारा प्रदान कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-3	
793/2001	16-3-01 अतारां0-13 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- मण्डी परिषद् शाहजहांपुर द्वारा गढ़िया रंगीन से जरगवा मार्ग पर कराये गये डामरीकरण की जांच एवं कार्य को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में।	पूरा करा लिया जायेगा।	दि0 12-12-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि डामरीकरण का कार्य दि0 27-6-2001 को पूर्ण करा लिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		चीनी उद्योग	
873/2001	17-5-01 बजट चर्चा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य के बकाये को जुलाई तक भुगतान करने की कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 12-12-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पेराई सत्र 2000-01 के अन्तर्गत प्रदेश की सभी चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-2	
526/2005	28-7-05 अतारां0-111 श्री परमजीत मलिक- राज्य के निजी सहकारी व निगम क्षेत्र की चीनी मिलों में पेराई सत्र वर्ष 2004-2005 में गन्ना किसानों को अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 12-12-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2004-05 के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		चीनी उद्योग-2	
633/2005	8-12-05 अतारां0-14 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह- दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर शाहजहांपुर में श्रमिकों की भविष्य निधि की बैलेन्स शीट पूरी किया जाना।	पूरी कर ली जायेगी।	दि0 12-12-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि बैलेंस शीट कम्पलीट करा ली गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

चीनी उद्योग-3

272/2010	11-8-2010 अतारां0-50 श्री सुरेश कुमार खन्ना- उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद् के कार्मिकों को पेंशन सुविधा अनुमन्य कराया जाना।	शासन के विचाराधीन है।	दि0 12-12-12 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद् के कार्मिकों को शासन के आदेश दि0 9-9-2010 एवं दि0 16-12-2011 द्वारा पेंशन व अन्य सुविधा अनुमन्य की जा चुकी है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन

1	2	3	4

1	2	3	4
		लघु उद्योग	
564-99	8-3-99 वक्तव्य श्री पूर्णमासी पंकज- बीडा (संतरविदासनगर) हेतु ग्राम अहमदपुर फुलवरिया, लखनपुर उर्फ अभयनपुर डुडवा कुकरोठी आदि में ली गई जमीन के विस्थापित कास्तकारों को जमीन रोजगार, वित्तीय सहायता ऋण आदि देने के सम्बन्ध में।	प्रयास किया जायेगा।	दि0 8-02-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 27 किसान जो भूमिहीन हो रहे थे शर्तों पर भूखण्ड लेने के लिये सहमत नहीं हुये। अब तक स्थापित उद्योगों में विस्थापित परिवार के 47 लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार सीधे रोजगार प्राप्त हुए हैं तथा कई लोग उद्योग व्यवसाय में कमीशन/कान्ट्रक्ट बेसिस पर कार्यरत हैं। पी0एम0जी0एस0वाई में 21 अभ्यर्थियों को ऋण दिलाने की कार्यवाही की गई लेकिन अभ्यर्थियों ने उक्त ऋण लेने में अनिच्छा व्यक्त की। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		लघु उद्योग-4	
47/2001	22-3-01 अतारां0-173 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- स्वर्ग आभूषण निर्यात केन्द्र की दृष्टि से मेरठ को सिटी आफ ज्वैल बनाने के प्रस्ताव पर शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	निर्देश दे दिये गये हैं।	दि0 8-02-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर उ0 प्र0 निर्यात निगम को दे दिया गया है। समिति उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		लघु उद्योग-4	
362/2001	3-5-01 अतारां0-156 डा0 पूर्णमासी पंकज- भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भदोही में कारपेट सिटी योजना के कार्य को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्य कराये जाने का लक्ष्य है।	दि0 8-02-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि रोड पेटिंग का कार्य बीडा द्वारा पूर्ण करा लिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		लघु उद्योग	
319/2002	28-8-03 अतारां0-1 डा0 वकार अहमद शाह- प्रथम सत्र, 2001 के 5वें मंगलवार हेतु श्री रामतेज यादव पूर्व स0वि0स0 द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-135 के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही।	आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।	दि0 8-02-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री आर0सी0 राय, प्रबन्धक ऋण के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करके उनको एक प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान कर दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

पर्यावरण विभाग

1	2	3	4

पर्यावरण

429/92	20-4-92 तारां0-2 श्री राम औतार शाक्य- मैनपुरी-जनपद में कारखानों से निकले गंदे जल से ईशन नदी एवं कप्तानगंज डिस्टलरी व संजय पेपर मिल से नदी में प्रदूषण।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28-05-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मैसर्स श्री महावीर स्ट्राबोर्ड प्रा0लि0 पावर हाउस रोड, मैनपुरी मैसर्स रायना पेपर बोर्ड इण्ड0 यूनिट-2 खलीलाबाद, संतकबीर नगर में प्रदूषण का लेबिल मानक के अनुरूप है। मैसर्स जे0आर0 आर्गेनिक लि0, कप्तानगंज डिस्टलरी कप्तानगंज कुशीनगर वर्ष 2008 से बन्द चल रही है एवं मैसर्स संजय पेपर एण्ड केमिकल इण्ड0 लि0 खलीलाबाद, संतकबीर नगर भी वर्ष 2000 से बन्द पड़ी रही हैं समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

पर्यावरण

152/97 140/2004 1122/2001	28-7-97 नियम-56 श्री अवधेश प्रसाद- फैजाबाद में मसौधा चीनी मिल के कारण व्याप्त पर्यावरण प्रदूषण।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28-05-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मेसर्स के0एम0 शुगर मिल्स लि0 मोतीनगर, फैजाबाद की शुगर इकाई का निरीक्षण दि0 2-1-13 व 5-1-13 को कराया गया, वहां उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करा लिया गया है। शुद्धीकृत उत्प्रवाह के नमूने बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। समिति ने उक्त स्थिति पर विचार कर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		पर्यावरण	
1087/99	22-3-99 नियम-56 श्री दीपक कुमार- उन्नाव उद्योगों एवं कल कारखानों से विषैले पानी के कारण गंगा नदी के पानी के प्रदूषित होने के फलस्वरूप नदी के किनारे बसे गांवों की फसल एवं जनजीवन के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में।	जांच की जा रही है।	दि0 2-05-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जिन बस्तियों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है वहां पाइप लाइन डलवाई जा रही है। यह कार्य दिसम्बर, 2014 तक पूरा हो जायेगा। पेयजल की कार्य योजना बनाई गई है। जहां कार्य योजना नहीं है वहां हैण्डपम्प लगे हैं। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		पर्यावरण (चीनी उद्योग से 25-7-2011)	
132/2008	27-2-08 नियम-56 डा0 आर0ए0 उस्मानी- जनपद लखीमपुर खीरी स्थित बजाज शुगर इण्डस्ट्रीज खम्मारखेड़ा के प्रदूषित जल के कारण मझरा फार्म हाउस की दर्जनों भैसों के मरने के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28-05-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि संयुक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ के पत्र दिनांक 30-4-2008 द्वारा विसरा रिपोर्ट में कोई रसायनिक विष नहीं पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पशुओं की मृत्यु शुगर मिल के प्रदूषित जल होना नहीं बताया गया इसलिये उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। समिति ने उक्त स्थिति पर विचार करते हुए आश्वासन को ड्राप किया।

पर्यावरण

256/2008	10-3-08 नियम-51 श्री राम विशुन आजाद- देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में दतौली शुगर मिल (मनकापुर) बजाज शुगर मिल कुन्दरखी एवं बभनान शुगर मिल के प्रदूषित जल को रोके जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28-05-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि देवीपाटन मण्डल के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में दतौली शुगर मिल (मनकापुर) बजाज शुगर मिल कुंदरखी एवं बभनान शुगर मिल के प्रदूषित जल का लेबिल मानकों के अन्तर्गत ही है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

पर्यावरण

132/2010	9-2-2010 नियम-56 श्रीमती मिथिलेश पाल- मुजफ्फरनगर के माया रोड पर स्थित फैक्ट्रियों द्वारा भू-गर्भ जल प्रदूषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28-05-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर ने अपने पत्र दि0 23-1-2013 के द्वारा अवगत कराया कि भू-जल के प्रदूषण के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। विश्लेषण में हैण्ड पम्पों के पानी के पीने योग्य पाया गया। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		पर्यावरण	
35/2011	14-2-2011 अतारांकित-143 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव- उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया हैदराबाद के माध्यम से प्रदेश में पर्यावरण प्रबन्ध संस्थान की स्थापना किया जाना।	विचार किया जायेगा।	दि0 28-05-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पर्यावरण प्रबन्ध संस्थान की स्थापना के लिये प्रीफिजिबिलटी स्टडी कराई गई जिसकी रिपोर्ट अनुकूल पाई गई। इसकी स्थापना की जा रही है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

पंचायती राज विभाग

1	2	3	4

1	2	3	4
		पंचायती राज-1	
299/2010	13-8-2010 अतारांकित-1 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत हरि का पुरवा वि0ख आसपुर के ग्राम प्रधान द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न कराने के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही।	जांच प्रचलित है।	दि0 12-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जिला कृषि अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा जांच में कार्य मानक के अनुरूप पाये गये तथा कराये गये कार्य की गुणवत्ता ठीक पाई गई। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		पंचायती राज-1	
102/2011	5-8-2011 अतारांकित-11 श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती सिंह- जनपद प्रतापगढ़ ब्लाक पट्टी के ग्राम सभा सरसतपुर के ग्राम प्रधान के विधि विरुद्ध एवं आर्थिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्रों पर जांच की कार्यवाही।	जी हां प्रकरण प्रचलित है।	दि0 12-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में उप कृषि निदेशक, प्रतापगढ़ तथा अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई, सदर प्रतापगढ़ से जांच कराई गई। ग्राम प्रधान द्वारा अधिक व्यय रु0 2430.00 को दि0 30-11-2011 जमा कर दिया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी को चेतावनी दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		पंचायती राज-3	
103/2011	5-8-2011 अतारांकित-16 श्री राजेश यादव- जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड जैतीपुर के कतिपय ग्रामों में स्वीकृत पंचायत भवन का निर्माण कराया जाना।	जी हां।	दि0 12-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर के ग्राम गौटिया अन्तू में स्वीकृत पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। उक्त से संतुष्ट होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		पंचायती राज-1	
105/2011	5-8-2011 अतारांकित-25 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी की ग्राम पंचायत रामचन्द्र पट्टी के ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2006 से 2010 तक कराये गये निर्माण कार्यों में की गई वित्तीय अनियमितता की जांच।	वांछित आख्या अभी प्रतीक्षित है।	दि0 12-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में शिकायत की जांच जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा सहायक विकास अधिकारी पट्टी से कराई गई। जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा दि0 7-12-2012 को अवगत कराया कि इसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

पंचायती राज-2

106-2011	5-8-2011 अतारांकित-116 जनपद सीतापुर तहसील महमूदाबाद के कतिपय जर्जर डामर रोड की मरम्मत कराना।	कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।	दि0 12-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि डामर रोड का निर्माण कार्य लेपन स्तर तक 910 मीटर तक पूरा करा दिया गया है। समिति ने उक्त का संज्ञान लेते हुए आश्वासन को ड्राप किया।

पंचायती राज-1

107-2011	5-8-2011 अतारांकित-136 श्री आलोक कुमार शाक्य- जनपद मैनपुरी के ग्राम पुरैया विकास खण्ड बेबर मे ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा में नाला खड़न्जा आदि के निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग की जांच पर कार्यवाही।	आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	दि0 12-12-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नाला और खड़न्जा का कार्य ग्राम प्रधान द्वारा नहीं कराया गया है। उनके द्वारा कराये गये कार्य जैसे तालाब खुदाई, चबूतरा निर्माण, पंचायत घर मरम्मत आदि में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जाना नहीं पाया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4

माध्यमिक शिक्षा विभाग

1	2	3	4

1	2	3	4
		माध्यमिक शिक्षा	
542/98	9-7-98 नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा पब्लिक स्कूल के माध्यम से सी0बी0एस0सी0 तथा आई0एस0सी0 के छात्रों के कई गुना बढ़ाकर फीस लेने तथा शासनादेश सं0-2762/15-13-91-4(40)91 दिनांक 30-11-91 का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28 जून, 2013 की बैठक में विभागीय सचिव ने साक्ष्य के अवसर पर अवगत कराया कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिये न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। समिति ने प्रकरण को इस निर्देश के साथ ड्राप किया कि हर जिले व मण्डल के स्तर को देखते हुए सी0बी0एस0सी0 एवं आई0एस0सी0 से सम्बद्ध विद्यालयों में शुल्क निर्धारण और शुल्क नियमन की एक अधिकतम सीमा क्लास के अनुसार अवश्य निर्धारित होनी चाहिये ताकि इस प्रकार के स्कूल लोगों का शोषण न कर सके।
		माध्यमिक शिक्षा-1	
606/98	14-7-93 अतारांकित-93 श्री अजय कुमार पोइया- जनपद मथुरा के रा0मा0 उच्चतर मा0 विद्यालय अडींग के प्रधानाचार्य श्री साहब सिंह व हरिश्चन्द्र यादव द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच।	निर्देश दिये गये हैं।	दि0 28 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि प्रकरण की जांच मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से कराने पर यह ज्ञात हुआ कि श्री साहब सिंह वर्मा ने निर्माण कार्य की धनराशि का भुगतान बिना अनुमति के कर दिया गया था जिसके लिये उन्हें परिनिन्दत कर दिया गया तथा श्री हरिश्चन्द्र यादव, सहायक अध्यापक पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		माध्यमिक शिक्षा	
703/98	16-7-98 वक्तव्य डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी- माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा औद्योगिक परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराकर रोके गये परीक्षाफल को घोषित किये जाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		माध्यमिक शिक्षा-9	
779/98	21-7-98 अतारांकित-63 श्री अफजाल अहमद- राष्ट्रीय इ0का0 जमुहाई जौनपुर के अध्यक्ष द्वारा प्रबन्धक श्री लालता प्रसाद सिंह को हटाये जाने के सम्बन्ध में दिये गये शिकायती-पत्र की जांच।	जांच आख्या प्रतीक्षित है।	दि0 28 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जांच में चुनाव होने को सही पाया गया व इसे मण्डलीय समिति द्वारा स्वीकृति दी गई। जांच में वित्तीय अनियमितता की भी पुष्टि नहीं हुई। उक्त से सहमत होकर समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा-8

782/98	21-7-98 अतारांकित-72 डा0 कौशल किशोर- आदर्श जनता उ0मा0 विद्यालय देवकली लखीमपुर खीरी को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार कर लिया जायेगा।	दि0 28 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि इस विद्यालय को दि0 02 जून, 2004 को अनुदान सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा-10

311/2005	15-3-05 अतारांकित-9 श्री अरुण कुमार मेहरोत्रा- जनपद जालौन में राजकीय मुमताज इण्टर कालेज कदौरा का भवन तथा चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग ने प्रथम किश्त के रूप में 40 लाख रुपये की स्वीकृति दिये जाने पर अपनी सहमति दे दी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा-12

578/2005	22-11-05 अतारांकित-82 श्री अवधेश कुमार- बी0एन0 इण्टर कालेज भगवन्त नगर हरदोई में श्री मंशाराम को दफ्तरी के पद पर पदोन्नति किया जाना।	प्रकरण विचाराधीन है।	दि0 28 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि श्री मंशाराम की दिनांक 8-6-2007 को दफ्तरी के पद पर पदोन्नति कर दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		माध्यमिक शिक्षा	
790/2005	10-3-06 नियम-56 डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर- जनपद कुशीनगर के बहुरी अल्पसंख्यक इण्टर कालेज में तेईस सौ परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र न मिलने की जांच तथा मैनेजमेन्ट के खिलाफ कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि मैनेजमेन्ट के विरुद्ध कार्यवाही हो चुकी है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		माध्यमिक शिक्षा-2	
127/2007	10-7-07 अतारांकित-21 डा0 वकार अहमद शाह- जनपद बहराइच के शासकीय विद्यालयों में सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाये देयों का भुगतान किया जाना।	भुगतार कर दिया जायेगा।	दि0 28 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जनपद बहराइच के शासकीय विद्यालयों में उस समय सेवानिवृत्त कर्मियों के सभी देयों का भुगतान कर दिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा-

161/2007	12-7-07 नियम-51 श्री गेंदा लाल चौधरी- श्रीमती हरि प्यारी देवी इण्टर कालेज रोहई जनपद हाथरस को वर्ष 2007 में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने की जांच।	जांच की जायेगी।	दि0 28 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जांच रिपोर्ट में श्रीमती हरि त्यागी देवी इण्टर कालेज, रोहई, जनपद हाथरस को काली सूची में डाला गया था किन्तु परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक तथा निरीक्षण अधिकारियों की संस्तुति पर इसे काली सूची से पृथक कर दिया गया था। समिति के निर्णय पर इसे पुनः केन्द्र बनाया गया था। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

माध्यमिक शिक्षा-7

34/2008	19-2-08 अतारांकित-1 श्री सुरेश कुमार खन्ना- राजकीय आर्य कन्या इण्टर कालेज, शाहजहांपुर के भवन का विस्तार किया जाना।	विचाराधीन है।	दि0 28 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि राजकीय इण्टर कालेज, शाहजहांपुर के लिये 8 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु धन मिल चुका है तथा निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		माध्यमिक शिक्षा-(संस्कृत शिक्षा)	
43/2010	2-2-2010 अतारांकित-54 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों/ महाविद्यालयों को अनुदान सूची में लेने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि 12 अगस्त, 2010 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय जो मानकों का पूरा करते हैं। उनको अनुदान सूची में ले लिया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		शिक्षा-12	
253/2010	10-8-2010 अतारांकित-33 श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही- महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज देवरिया में कार्यरत परिचालकों के वेतन भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 28 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि संस्था के 8 परिचालकों को नवम्बर, 2010 से नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		माध्यमिक शिक्षा (संस्कृत शिक्षा)	
48/2011	15-2-2011 अतारांकित-12 श्री उदयभान करवरिया- प्रदेश में संस्कृत भाषा के विकास हेतु सरकार की योजना का कार्यान्वयन।	जी हां।	दि0 28 जून, 2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि इस प्रकरण में मानक के अनुसार जो संस्कृत विद्यालय आते थे उन्हें अनुदान की सूची मे ले लिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

बेसिक शिक्षा विभाग

1	2	3	4

1	2	3	4
		बेसिक शिक्षा-5	
454/2000	2-5-2000 अतारांकित-86 श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद- प्राथमिक विद्यालय, रेहुटा तिंदवारी, बांदा के भवन निर्माण हेतु प्रदान की गई धनराशि के बाद भी फर्श, प्लास्टर, खिड़की एवं दरवाजे के कार्य पूर्ण न कराये जाने के कारण दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।	दि0 10-3-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि विद्यालय में फर्श, प्लास्टर, खिड़की एवं दरवाजों का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। विद्यालय में शिक्षण का कार्य विधिवत् संचालित हो रहा है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		बेसिक शिक्षा	
1023/2001	22-5-2001 अतारांकित-45 श्री शिव गणेश लोधी- ब्लाक सताव के प्राइमरी स्कूलों में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	कार्यवाही गतिमान है।	दि0 10-3-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जनपद रायबरेली के गांव सताव में अध्यापकों की कमी की पूर्ति के लिये 154 शिक्षामित्रों की नियुक्ति की जा चुकी है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		बेसिक शिक्षा-1	
1029/2001	2-5-2002 अतारांकित-62 श्री सरवर अली खां- प्रश्नकर्ता के फैक्स दिनांक 29-1-01 में उल्लिखित शिकायतों की जांच।	जांच कराई जायेगी।	दि0 10-3-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि शिक्षा निदेशक, बेसिक फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद से कराई गई जांच में कोई बिन्दु सही नहीं पाया गया। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		बेसिक शिक्षा-5	
1040/2001	22-5-2001 अतारांकित-104 श्री मुरलीधर- किशुनपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जानिकपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना प्रस्ताव पर कार्यवाही।	स्थापना का प्रस्ताव है।	दि0 10-3-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि यह विद्यालय पूर्ण हो चुका है और वर्ष 2003 से विद्यालय का संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		बेसिक शिक्षा-5	
69/2002	13-8-02 अतारांकित-95 श्री कमाल यूसुफ- जनपद सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत उर्दू अध्यापकों को प्रशिक्षित वेतनमान रोके जाने के कारणों की जांच।	जांच कराई जायेगी।	दि0 10-3-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि सिद्धार्थनगर में सबको वेतनमान दिया जा रहा है। 66 शिक्षकों के बारे में ए0डी0 बेसिक ने बताया कि इनको चयन वेतनमान दिया जा रहा है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		बेसिक शिक्षा-5	
188/2002	28-8-02 अतारांकित-96 श्री जियाउद्दीन रिजवी- बलिया जनपद अन्तर्गत भवन विहीन प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराया जाना।	जी हां।	दि0 10-3-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि 11 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		शिक्षा-5	
262/2012	27-11-2012 तारांकित-7 श्री उपेन्द्र तिवारी एवं श्री दलवीर सिंह- प्रदेश में द्विवर्षीय सेवा पूर्व बी0टी0सी0 2004 (प्रशिक्षण वर्ष 2009) में चयनित शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने की मांग।	कार्यवाही गतिमान है।	दि0 10-3-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि कुल 3284 अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		शिक्षा-5	
182/2013	19-3-2013 अतारांकित प्रश्न-27 श्री जय प्रकाश निषाद- जनपद मऊ में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में सेवानिवृत्त प्राइमरी शिक्षकों के राशिकरण (पेंशन बेचेनामा) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	भुगतान कर दिया जायेगा।	दि0 10-3-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 व 2012-13 में सेवानिवृत्त समस्त शिक्षकों के राशिकरण पेंशन बेचेनामा का भुगतान किया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4

नियोजन विभाग

1	2	3	4

1	2	3	4
		नियोजन विभाग (ग्राम्य विकास से)	
353/2004	5-8-2004 नियम-51 श्री ओ0पी0 सिंह- जनपद सुल्तानपुर में वर्ष 2003-04 में सांसद क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 5 सड़कों में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच।	निर्णय लिया जायेगा।	दि0 27 मार्च, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जांच आख्या के आधार पर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर दी गई। समिति ने आश्वासन को इस अपेक्षा के साथ ड्राप किया कि निर्माण कार्य के सम्बन्ध में रु0 8 लाख 28 हजार 111/- के लिये मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच से प्राप्त स्थगनादेश को अपास्त करने की शीघ्र कार्यवाही की जाय।

1	2	3	4

गृह कारागार विभाग

1	2	3	4

1	2	3	4
		गृह कारागार-4	
12/2010	28-1-2010 नियम-51 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह- प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बंदियों द्वारा जेल के भीतर की गयी मजदूरी की अवशेष धनराशि का भुगतान किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 27 मार्च, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जिलों में निरुद्ध बंदियों द्वारा जेल में की गई मजदूरी या श्रम किया गया है इसके बदले में उनको मजदूरी का पूरा भुगतान कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह कारागार-4	
12/2010	28-1-2010 नियम-51 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह- प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बंदियों द्वारा जेल के भीतर की गयी मजदूरी की अवशेष धनराशि का भुगतान किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 27 मार्च, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि जिलों में निरुद्ध बंदियों द्वारा जेल में जो मजदूरी या श्रम किया गया है उसके बदले सभी देय मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह कारागार विभाग	
201/2010	15-2-2010 नियम-300 श्री प्रमोद तिवारी एवं अम्बिका चौधरी- प्रदेश के कारागारों में 14 वर्ष या उससे भी अधिक समय से निरुद्ध कैदियों की शेष सजा माफ करके उन्हें मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 27 मार्च, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि 14 वर्ष से अधिक निरुद्ध कैदियों को छोड़े जाने की नीति पहले से लागू है। यह सतत् प्रक्रिया है जो माफी के बारे में अलग-अलग तरह से लागू होती है। उसके गुण-दोष के आधार पर उनको छोड़ने का फैसला शासन स्तर पर होता है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह कारागार-4	
290/2010	12-8-2010 अतारांकित-108 श्री अब्दल वारिस खां- जनपद मुजफ्फरनगर में नयी कारागार बनवाना।	जी हां।	दि0 27 मार्च, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मुजफ्फरनगर में नया कारागार बनाये जाने हेतु दि0 23-5-2013 को 22.734 हे0 भूमि का कब्जा जिला कारागार मुजफ्फरनगर को मिल चुका है समिति ने इस अपेक्षा के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि शीघ्रातिशीघ्र वहां पर जेल का निर्माण कराया जाय।
		कारागार प्रशा0 एवं सुधार-2	
25/2012	5-6-2012 अल्पसूचित तारांकित- श्री अनुग्रह नारायण सिंह- प्रदेश की जेलों में काफी समय से सजा काट रहे निरुद्ध वृद्ध एवं बीमार कैदियों की रिहाई के लिये योजना/नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 27 मार्च, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जेलों में काफी समय से सजा काट रहे निरुद्ध वृद्ध एवं बीमार कैदियों की रिहाई के लिये नीति पहले से लागू है। यह एक सतत् प्रक्रिया है जो माफी के बारे में अलग-अलग तरह से लागू होती है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स

1	2	3	4

1	2	3	4
		आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स औद्योगिक विकास से	
1314/2001	29-5-01 बजट भाषण एक्सप्रेस-वे का निर्माण तथा 5 नगरों में साफ्टवेयर टेक्नोलोजी वार्ड की स्थापना के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28-4-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि लखनऊ, नोयडा तथा इलाहाबाद में साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क का निर्माण हो गया है। आगरा के सम्बन्ध में अभी प्रक्रिया चल रही है। बनारस में बी0एच0यू0 के द्वारा एस0टी0जी0आई0 को जमीन दी जा रही है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स-2	
338/2007	6-12-07 तारांकित-5 डा0 धर्मपाल सिंह- आगरा में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना किया जाना।	विचाराधीन है।	दि0 28-4-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि इस वर्ष रु0 6.21 करोड़ की धनराशि का प्राविधान बजट में किया गया है। चूंकि अभी बजट पास नहीं हुआ है इसलिये अभी भूमि के लिये एग्रीमेन्ट नहीं किया जा सका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स-1	
357/2008	21-8-08 अतारांकित-161 डा0 धर्मपाल सिंह- आगरा महानगर में साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क बनवाया जाना।	प्रस्ताव विचाराधीन है।	इस आश्वासन की प्रकृति तथा आ0सं0-338/2007 एक ही प्रकार का है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4

संस्कृति विभाग

1	2	3	4

1	2	3	4
		संस्कृत विभाग (राजस्व विभाग से 10-6-2010)	
121/94	3-3-94 नियम-51 वीरांगना अवन्ती बाई की मूर्ति की स्थापना करना।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28-4-2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जिस स्थान पर प्रतिमा लगाने की बात है वह गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एन0एच0-24 के विस्तारीकरण के क्षेत्र में पड़ रहा है। इसलिये वह स्थान उपयुक्त नहीं है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4

संसदीय कार्य विभाग

1	2	3	4

1	2	3	4
		संसदीय कार्य-1	
621/99	10-3-99 अल्पसू0 तारां0 श्री राम ललित चौधरी- शासन के अधिकारियों को विधायकों के प्रति शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल का पालन करने हेतु निर्देश जारी किया जाना तथा मा0 सदस्य श्री वी0आर0 वर्मा तथा श्रीमती गौरी देवी के साथ घटित घटना पर कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28-4-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री बी0आर0 वर्मा का देहान्त हो गया है तथा श्रीमती गौरी देवी ने समिति की बैठक में उपस्थिति के सम्बन्ध में फोन से यह अवगत कराया कि वे अस्वस्थ हैं तथा अपना प्रतिनिधि समिति की बैठक में भेजेंगी। लेकिन उन्होंने न तो समिति के समक्ष कोई लिखित उत्तर दिया न स्वयं उपस्थित हुईं। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4

उच्च शिक्षा विभाग

1	2	3	4

1	2	3	4
		उच्च शिक्षा-1	
593/99	9-3-99 अतारांकित-111 श्री रामबाबू हरित- विश्वविद्यालयों में आरक्षित रिक्त स्थानों को भरे जाने की कार्यवाही।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 30 जनवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विधिवत् चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिनियम बन गया है। इसलिये अब भर्तियां हो जायेंगी। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		उच्च शिक्षा	
1074/2001	22-5-2001 बजट भाषण आरक्षण के सम्बन्ध में चयन आयोग द्वारा पुनर्विचार एवं चयन प्रक्रिया में परिवर्तन किये जाने हेतु विचार।	विचार करेंगे।	दि0 30 जनवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि गोरखपुर और बरेली विश्वविद्यालय में चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि विभाग एवं विश्वविद्यालय कार्य परिषद् शीघ्र नियुक्तियों को पूरा करे एवं आरक्षण व्यवस्था का समुचित लाभ उस वर्ग को देते हुए नियुक्तियों की कार्यवाही पूर्ण करें।
		उच्च शिक्षा-1	
154/2005	01-03-05 तारांकित-2 श्री राम इकबाल सिंह- विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अवैध कोचिंग संचालित करने के खिलाफ कार्यवाही।	कार्यवाही की गई है।	दि0 30 जनवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी पाये गये अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		उच्च शिक्षा-1	
390/2005	22-3-05 तारांकित-6 डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा- संस्कृत महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को अन्य महाविद्यालयों के समकक्ष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही करेंगे।	दि0 30 जनवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि संस्कृत महाविद्यालयों में कार्यरत तथा अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की चयन प्रक्रिया, अर्हतायें तथा डिग्री आदि यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार न होने के कारण यू0जी0सी0 के अनुसार वेतन दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		उच्च शिक्षा-5	
559/2005	22-11-05 अतारांकित-25 श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव- पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय लखनऊ में बी0एस0सी0 की कक्षायें प्रारम्भ किया जाना।	कक्षायें प्रारम्भ कर दी जायेंगी।	दि0 30 जनवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय लखनऊ में बी0एस0सी0 की कक्षायें जुलाई, 2006 से संचालित हो रही हैं। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		उच्च शिक्षा-	
872/2005	28-3-2006 अतारांकित-45 श्री अब्दुल मन्नान- राजकीय महाविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति वरिष्ठ लिपिकों के पद पर किया जाना।	कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।	दि0 30 जनवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2007 में 30 पदों पर वर्ष 2008 में 16 पदों पर तथा वर्ष 2009 में 04 पदों पर पदोन्नति की गई है। यह एक सतत् प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		उच्च शिक्षा-	
34/2006	22-8-06 नियम-56 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मेरठ की वर्ष 2005-06 की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में धांधली एवं अनियमितता की जांच।	जांच की जाएगी।	दि0 28-5-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच आख्या में दोषी पाये गये तत्कालीन कुल सचिव श्री बी0एल0 आर्य को निलम्बित किया गया। परीक्षा समन्वय श्री ए0पी0 गर्ग की सेवायें समाप्त की गईं। श्री एस0पी0 ओझा ने त्याग-पत्र दे दिया है और छात्रों के मूल्यांकर को रिव्यू करके उसका निस्तारण हो गया है। समिति ने आश्वासन को इस निर्देश के साथ ड्राप किया कि मण्डलायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई दोषी पाया जाता है तो विभाग कार्रवाई करके समिति को अवगत करायें।
		उच्च शिक्षा-	
156/2006	22-11-06 नियम-51 श्री राम इकबाल सिंह- जनपद बलिया स्थित नरहेजी महाविद्यालय रसड़ा बलिया के प्रबन्ध तंत्र एवं प्रधानाचार्य द्वारा किये गये गबन की जांच किया जाना।	जांच की जायेगी।	दि0 30 जनवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि जांच में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, केन्द्रीय सेवा के कर्मचारियों के खिलाफ जांच पूरी हो गई, आरोप-पत्र निर्गत हो चुके हैं, चार्जशीट दे दी गई है। समिति ने आश्वासन को इस निर्देश के साथ ड्राप किया कि विभाग अन्तिम कार्रवाई से समिति को अवगत करायेगा।

1	2	3	4
		उच्च शिक्षा विभाग	
180/2010	11-2-2010 नियम-51- श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा- राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद सीतापुर में रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 28-5-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शैक्षिक संवर्ग के 20 पद भरे हुये हैं। चतुर्थ श्रेणी के 3 पद रिक्त हैं। वित्त विभाग के शासनादेश से वे0आ0-2-2052/दस-59 (एम)/2008, दि0 8 सितम्बर, 2010 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती सम्भव नहीं है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		उच्च शिक्षा-2	
250ए/2010	10-8-2010 अतारांकित-24 श्री सुरेश कुमार खन्ना- गांधी फैजाम अल्पसंख्यक महाविद्यालय, शाहजहांपुर में स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति।	कार्यवाही वांछित है।	दि0 28-5-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा वह कार्य भी कर रहे हैं। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		उच्च शिक्षा विभाग	
320/2010	13-8-2010 नियम-51 श्री संजय कपूर- जनपद रामपुर में महिला राजकीय महाविद्यालय में प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के भवन निर्माण के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दि0 30 जनवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के दौरान विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि एम0ए0, एम0एस0सी0 एवं एम0काम0 की कक्षायें संचालित हैं। प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के भवन के निर्माण में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		उच्च शिक्षा-1	
46/2011	15-2-2011 तारांकित-16 श्री राजेश यादव- प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव करने पर विचार।	जी हां।	दि0 28-5-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में लिंगदोह समिति के संस्तुतियों के अनुसार छात्र संघ चुनाव कराये जाने के आदेश जारी हो गये हैं और उसके अनुसार चुनाव हो रहे हैं। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		उच्च शिक्षा-1	
59/2011	15-2-2011 अतारांकित-88 श्री आर0 ए0 उस्मानी- शिक्षा सत्र, 2010-2011 में महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने की योजना।	प्रकरण विचाराधीन है।	दि0 28-5-2013 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि महाविद्यालयों में लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के अनुसार छात्र संघ चुनाव कराये जाने के आदेश जारी हो गये हैं। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		उच्च शिक्षा-1	
293/2012	29-11-2012 अतारांकित प्रश्न-3 श्री अनुग्रह नारायण सिंह- प्रदेश में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में वर्ष 2012-13 में छात्र संघों के चुनाव सम्पन्न कराने की कार्यवाही की जानकारी।	कार्यवाही की जा रही है।	दि0 30 जनवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार शासनादेश जारी कर दिया गया है और कई जगह चुनाव भी सम्पन्न हो चुके हैं। समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		उच्च शिक्षा-2	
300/2012	29-11-2012 अतारांकित-55 श्री सुरेश कुमार खन्ना- गांधी फैजाम महाविद्यालय शाहजहांपुर में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति का प्रकरण।	निर्देशित किया गया है।	दि0 30 जनवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि डा0 अकील अहमद को प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		उच्च शिक्षा-1	
94/2013	7-3-2013 तारांकित प्रश्न-2 डा0 धर्मपाल सिंह- विश्वविद्यालयों में शोध हेतु पंजीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिये पंजीकरण प्रक्रिया अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदन की कार्यवाही प्रचलित है।	दिनांक 30 जनवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि शासन के आदेश दि0 19-12-2013 द्वारा सभी राज्य विश्वविद्यालयों को पी0एच0डी0 की रिक्तियां आंकलित करते हुए एक विज्ञापन के माध्यम से पी0एच0डी0 में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र को विश्वविद्यालय अपनी व्यवस्था के अन्तर्गत उपयुक्त छात्रों का चयन कर पी0एच0डी0 हेतु प्रवेश देंगे। समिति ने

			आश्वासन को ड्राप किया।

उच्च शिक्षा-1

95/2013	7-3-2013 : तारांकित प्रश्न-06 श्री अखिलेश प्रताप सिंह- प्रदेश में उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को बढ़ाने तथा नये विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।	स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।	दिनांक 30 जनवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि 26 महाविद्यालयों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। शेष 10 प्रक्रियाधीन है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि इसमें अधिक तेजी से कार्यवाही की जाये।

1	2	3	4

गृह (पुलिस) विभाग

1	2	3	4

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-6	
450/98	6-7-98 अतारां0-52 श्री विजयपाल सिंह- जनपद आगरा के थाना निवोहरा धनौला कला में पुलिस चौकी भवन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि पुलिस मुख्यालय से प्राप्त रिपोर्ट में यह सूचित किया गया है कि मानकों के पूर्ण न होने के कारण पुलिस चौकी की स्थापना नहीं की जा सकी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-12	
452/98	6-7-98 अतारां0-55 श्री राम औतार शाक्य- अपराध सं0-171298 एवं 172/98 थाना वेवर जनपद मैनपुरी की जांच एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी।	प्रयास किये जा रहे हैं।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि दो मामलों में एफ0आई0आर0 लग चुकी है और वह कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें गृह विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही करना शेष नहीं है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-1	
453/98	6-7-98 अतारां0-77 श्री राजधारी- श्री रमाशंकर द्विवेदी अपर राज्य रेडियो अधिकारी द्वारा आर0टी0ओ0/टी0वाई0 सेटों के क्रय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में की गई अनियमितता की जांच।	जांच कराई जा रही है।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच में पर्यवेक्षीय दायित्व की कमी पाई गई जिसके लिये उन्हें सचेत किया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-12	
454/98	6-7-98 अतारां0-83 श्री राम औतार शाक्य- श्री शिवराज सिंह, पी0टी0आई0 निवासी गढ़िया किसनपुर थाना बेवर जनपद मैनपुरी एवं उनके गिरोह के लोगों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि पुलिस प्रशासन स्तर से कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-12

699/98	16-7-98 नियम-56 श्री रामवीर उपाध्याय- भारत सरकार की आई0वी0 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रामवीर उपाध्याय सदस्य, विधान सभा की सुरक्षा व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के तहत उन्हें जेड श्रेणी में सुरक्षा उपलब्ध है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-12

1140/99	23-2-99 नियम-56 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य- श्री शिवराम निषाद की दिनांक 20-3-99 को हुई हत्या में अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को बरी किया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-	
1206/99	24-3-99 वक्तव्य श्री रामपाल- ग्राम अतरौली थाना रेठर (जालौन) में दिनांक 3-3-99 को घटित घटना के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया तथा एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट की भी वृद्धि की गई लेकिन न्यायालय के निर्णय द्वारा सभी अभियुक्तों को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)	
1207/99	24-3-99 वक्तव्य श्री संजय गर्ग- जनपद सहारनपुर में थाना कोतवाली देहात में दिनांक 5-3-99 को हुई चार लोगों की हत्या के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही तथा थाना के पुनः सीमांकन के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई। इसमें न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। इसके अतिरिक्त मोहल्ला ओजपुरा थाना सदा बाजार में पुनः सम्मिलित कर लिया गया है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

		गृह (पुलिस)-	
1270/99	13-7-99 नियम-56 डा0 अशोक बाजपेयी- प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि विवेचना में कुल 12 अभियुक्तों में से 8 अभियुक्तों को भिन्न-भिन्न तिथियों में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एक अभियुक्त के के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की गई है। शेष 2 में से एक अभियुक्त श्री सुरेन्द्र सिंह की हत्या पट्टी जिला प्रतापगढ़ में हो चुकी है। दूसरे व्यक्ति विनोद सिंह को 22-7-1999 में गिरफ्तार किया गया था। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-	
1349/99	15-7-99 औचित्य का प्रश्न श्री प्रमोद कुमार- मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी को सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी को इस समय सुरक्षा प्रदान कर दी गई थी। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-	
1351/99	15-7-99 नियम-56 श्री चन्द्र पाल सिंह- मा0 विधायक श्री चन्द्रपाल सिंह की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री चन्द्रपाल सिंह को दि0 5-2-1998 से दि0 15-4-2004 तक सदस्य विधान परिषद् रहने के दौरान एक गनर की सुरक्षा प्रदान की गई थी। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-6	
1404/99	3-1-2000 अतारां0-137 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना- शाहजहांपुर में थाना बंडा के अन्तर्गत ग्राम बलरामपुर अशोक में पुलिस रिपोर्टिंग चौकी तथा थाना पुवांया के अन्तर्गत ग्राम मगसरा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना के सम्बन्ध में।	विचार कर निर्णय लिया जायेगा।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि थाना बड़ा जनपद शाहजहांपुर से हटाकर पूरनपुर के क्षेत्राधिकार में समाहित कर लिया गया है। थाना पुवायां के अन्तर्गत गंगसरा ग्राम रिपोटिंग पुलिस चौकी हेतु निर्धारित मानक को पूर्ण नहीं करती है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

		गृह (पुलिस)-	
300/2000	24-4-2000 नियम-56 श्री प्रमोद कुमार- स0वि0स0 शराब की दुकानों को हटाने हेतु क्षेत्रीय जनता पर हुए लाठी चार्ज की मैजिस्ट्रियल जांच करने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि शराब की दुकान हटा ली गई है। समिति ने इस अपेक्षा के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि मुकदमें वापस लेने के सम्बन्ध में विभाग प्रभावी कार्यवाही करे।
		गृह (पुलिस)-	
390/2000	27-4-2000 वक्तव्य डा0 वकार अहमद शाह- दिनांक 11-3-98 को जनपद बहराइच के पास पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात आतंकवादी श्री जनरैल सिंह जसराना को मार गिराने वाले पुलिस कर्मी श्री लल्लू राम दिवाकर की प्रोन्नति की कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि श्री लल्लू राम दिवाकर को डिप्टी एस0पी0 बनाये जाने के लिये कानून में व्यवस्था नहीं है तथा लोक सेवा आयोग ने भी इनके लिये संस्तुति नहीं की। अतः समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-11	
438/2000	1-5-2000 अतारां0-38 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह- प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-क-2नं0 241340 दिनांक 3-11-99 में उल्लिखित शिकायतों के आधार पर की गई प्रथम सूचना की विवेचना के सम्बन्ध में कार्यवाही।	विवेचना की जा रही है।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि तीन मुकदमों में पुलिस के स्तर से विवेचना पूर्ण हो चुकी है। अतः समिति आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-12	
559/2000	8-5-2000 तारां0-8 श्री रघुवर दयाल वर्मा- टूण्डला में दिनांक 7-3-2000 को विषाक्त भोजन करने से 40 आलू निकासी मजदूरों के बेहोश होने तथा तीन की घटना स्थल पर हुई मृत्यु के सम्बन्ध में जांच की कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि विसरा की भी जांच कराई गई। इसमें दो बार जांच हो चुकी है। किसी को दोषी नहीं पाया गया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-12

562/2000	8-5-2000 अतारां0-18 श्री शिशुपाल सिंह यादव- थाना शहर कोतवाली एटा में दिनांक 19-02-2000 को हुई दलित महिला प्रेमा देवी व उसके पुत्र रजत की हत्या के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।	गिरफ्तारी की जायेगी।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि इस प्रकारण में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। बाकी ने मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। इनके विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। लेकिन मा0 न्यायालय ने दि0 5-10-2011 को दोषमुक्त कर दिया है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-14

566/2000	8-5-2000 अतारां0-33 श्री सरवर अली खां- ग्राम पारा, थाना जरवल रोड, बहराइच निवासी ग्राम प्रधान बालक राम की हुई हत्या की जांच।	जांच अभी प्रचलित है।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि श्री त्रिभुवन को न्यायालय में उपस्थित न होने पर अभियोग मा0 उच्च न्यायालय सी0जे0एम0 बहराइच में प्रचलित है। अन्य 5 अभियुक्तों को दि0 18-10-2006 को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अतः समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-4	
567/2000	8-5-2000 अतारां0-35 श्री राम औतार शाक्य- कोतवाली नगर बांदा में दर्ज अपराध सं0 196/99 की सी0बी0आई0 द्वारा विवेचना।	सी0बी0आई0 द्वारा विवेचना की जा रही है।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि सी0बी0आई0 जांच में सम्बन्धित अधिकारी जो एडीशनल एस0पी0 थे की डेथ हो गई जिसकी रिपोर्ट न्यायालय में लगा दी गई। जांच में वह दोषी नहीं पाये गये। विचारोपरान्त समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-12	
568/2000	8-5-2000 तारां0-36 श्री राम औतार शाक्य- सी0बी0 नं0 221/99 थाना बबर मैनपुरी में मिली महिला की सिरकटी लाश के सम्बन्ध में जांच आख्या पर कार्यवाही।	जांच की जा रही है।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा पुलिस कर्मियों के विरुद्ध थाना भोगांव जनपद मैनपुरी पर मु0सं0-274/2004 विवेचना दि0 7-5-2002 को पूर्ण की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अपराध सं0 124/99 में जनपद मैनपुरी की अपराध शाखा द्वारा विवेचना से कु0 लीना उपस्थित नहीं हुई तथा एफ0आर0 और विवेचना के उपरान्त लगा दी गई जो न्यायालय में विचाराधीन है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

		गृह (पुलिस)-	
610/2000	9-5-2000 नियम-311 श्री धनीराम वर्मा- दिनांक 2-5-2000 को घटित अपहरण की घटना के सम्बन्ध में दिनांक 5-5-2000 को थाना कांधला में मा0 सांसद, मा0 विधायक, मा0 पूर्व विधायक एवं ग्राम प्रधान के साथ हुए पुलिस बल प्रयोग के प्रकरण की जांच।	आपने निर्देश दिया है उसका पालन होगा।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि श्री संजय चौहान जी के आवास पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंश्स में भी मुनव्वर हसन, सांसद, राज्यसभा व अन्य मा0 जनप्रतनिधियों ने यह कहा था कि उनके विरुद्ध कोई बल प्रयोग नहीं हुआ था। अंतिम रिपोर्ट दोनों मामलों में भेज दी गई है। मा0 जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-4	
648/2000	10-5-2000 नियम-56 श्री आर0के0 चौधरी- दिनांक 7 मई, 2000 को हरदोई सदर कोतवाली अन्तर्गत परिया का पुरवा में श्री रुस्तम लाल के घर में चार व्यक्तियों की श्री रामनाथ (अभियुक्त) द्वारा की गई हत्याओं के सम्बन्ध में दुबारा जांच परीक्षण कराने तथा आर्थिक सहायता देने व सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि चार महिलाओं को एक-एक लाख रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है तथा एक श्रीपाल पुत्र श्री पुनरवा को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-6	
650/2000	10-5-2000 वक्तव्य श्री श्यामदेव राय चौधरी- वाराणसी नगर के मदनपुरा क्षेत्र में क्षमतायुक्त थाना खोले जाने के प्रस्ताव पर यथोचित निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया जायेगा।	दिनांक 19 सितम्बर, 2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि थाना दशाश्वमेघ से मदनपुरा पुलिस चौकी की दूरी 1 कि0मी0 है चौकी मदनपुरा में कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। और न ही मानक के अनुसार थाना ही बनाया जा सकता है। समिति ने आश्वासनों को इस निर्देश के साथ ड्राप किया कि अगर स्थान मिल जाय तो कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था अवश्यक की जाय।
		गृह (पुलिस)-	
723/2000	12-5-2000 नियम-56 श्री आर0के0 सिंह पटेल- जनपद लखीमपुर खीरी के थाना खीरी में जमुनिया गांव में 4 मई, 2000 को पुलिस मुठभेड़ में मारे गये अवधराम पासी के प्रकरण में मैजेस्ट्रियल जांच एवं कार्यवाही।	कार्यवाही होगी।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि मैजिस्ट्रियल जांच तत्कालीन परगना मजिस्ट्रेट लखीमपुर श्री बी0पी0 खरे द्वारा की गई। पुलिस के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-12

742/2000	15-5-2000 अतारां0-32 श्री पीटर फैंथम- मथुरा में संत टेरेसा स्कूल कोसी कलां स्कूल में दिनांक 10/11 अप्रैल, 2000 की रात्रि में घुसकर प्रधानाचार्य के0के0 थामस एवं महिला कर्मचारी मिस मेरी एवं सिस्टर गलेनिया पुरम् को मारने पीटने एवं लूट की घटना के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही।	स्थानीय पुलिस जांच कर रही है।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि विवेचना के उपरान्त पुलिस ने इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी है जिसे मा0 न्यायालय द्वारा दि0 27-11-2005 को स्वीकार किया जा चुका है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासनों को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-12

897/2000	23-10-2000 अतारां0-65 श्री राम औतार शाक्य- मुकदमा अ0सं0 292/2000 थाना, बेवर जनपद मैनपुरी के अभियुक्तों की गिरफ्तारी।	प्रयास किये जा रहे हैं।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि श्रीमती संतोष कुमारी की संलिप्तता का साक्ष्य न पाये जाने की दशा में उनका नाम पृथक करके विवेचना समाप्त की गई। अभियुक्त होरी सिंह के विरुद्ध दि0 10-12-2000 के आरोप-पत्र सं0 244 मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-4	
899/2000	23-10-2000 अतारां0-89 श्री राम औतार शाक्य- थाना-हजरतगंज लखनऊ में पंजीकृत अपराध सं0 545/99 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।	प्रयास किये जा रहे हैं।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है और चार्जशीट लगा दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-14	
662/01	14-5-01 अतारां0-69 श्री राम चन्द्र यादव- फैजाबाद थाना अनायत नगर दर्ज मुकदमें में अपराध सं0-217/2000 में हुई हत्या के सम्बन्ध में अपराधियों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही।	प्रयास किये जा रहा है।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि इसमें सही अभियुक्तों का पता न चलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट सं0 38, दि0 27-7-2004 को प्रेषित करके विवेचना समाप्त की गई है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-14

1321/2001	29-5-01 नियम-51 श्री नवाब सिंह नागर- नोएडा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरौला एवं हाजीपुर में दिनांक 18-5-01 को अतिक्रमण हटाते समय हुई घटना की जांच एवं भू-माफियों के विरुद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि नोयडा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरौरा एवं हाजीपुर में अतिक्रमण हटाते समय दि0 18-5-2001 को अवर अभियन्ता श्री डी0के0 भारद्वाज ने अभियोग का नाम व पता अज्ञात पंजीकृत कराया गया लेकिन अभियुक्त का पता न चलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 7-9-2001 को न्यायालय में प्रेषित कर दी गई थी, भू-माफिया पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी नोयडा की आख्या के अनुसार थाना सेक्टर-49 में कोई चिन्हित भू-माफिया नहीं है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-

1346/2001	30-5-01 नियम-300 श्री राम चन्द्र यादव- मा0 सदस्य श्री राम औतार शाक्य एवं उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि श्री राम औतार शाक्य को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। इनका स्वर्गवास हो गया है। श्री आलोक कुमार, वर्तमान सदस्य की सुरक्षा में एक गनर नियुक्त है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-	
1367/2001	30-5-01 नियम-51 श्री श्यामदेव राय चौधरी- दिनांक 14 मई, 2001 को मन्दिर परिसर में घटित घटना की जांच एवं प्रत्येक घटना की प्राथमिकी दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि घटना की जांच में कोई पीड़ित व्यक्ति घटना की सूचना लेकर पुलिस रिपोर्टिंग चौकी में नहीं आया तथा दि0 14-5-2001 को मन्दिर परिसर में लूट की कोई घटना घटित नहीं हुई। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-	
120/2005	23-2-05 नियम-51 श्री प्रमोद तिवारी, श्री राम नरेश यादव, श्रीमती लुईस खुर्शीद, श्रीमती अमिता सिंह- थाना बहरियाबाद अन्तर्गत ग्राम मिर्जापुर जनपद गाजीपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक डा0 अजय अग्रवाल के अपहरण के संबंध में कार्यवाही।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि डा0 अग्रवाल की रिहाई के लिये पुलिस टीमें गठित कर प्रयास किया गया। जिसमें बाद में अपहरणकर्ताओं द्वारा डा0 अग्रवाल को मुक्त कर दिया गया। दोषियों के खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किये जा चुके हैं। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-

143/2005	22-2-05 कार्यस्थगन श्री श्यामदेव राय चौधरी- वाराणसी में दशाश्वमेघ घाट पर स्थित दुकान में गैस सिलेण्डर विस्फोट से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में मृतक परिवार को एक-एक लाख एवं घायल व्यक्तियों को 25-25 हजार किया जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि मृतक के परिवार वालों को एक-एक लाख रुपये एवं घायलों को 25-25 हजार रुपये की धनराशि प्रदान कर दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-1

476/2005	25-7-05 अतारां0-70 श्री सुरेश कुमार खन्ना- प्रदेश में पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती किया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 4010 लोग 10 माह के बाद आ जायेंगे। प्रोन्नति के 3199 प्रशिक्षणार्थियां है, जो लगभग 5 माह के बाद उपलब्ध हो जायेंगे। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-3	
493/2005	25-7-05 अतारां0-167 श्री हुकुम सिंह- जनपद सहारनपुर में श्री अनिल कुमार पुत्र श्री यशपाल सिंह से मार्च, 2005 में 50000 छीनकर फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्यवाही।	विवेचना प्रचलित है।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा दोनों के खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि इसमें विभाग की ओर से प्रभावी पैरवी की जाय।
		गृह (पुलिस)-	
253/2008	10-3-08 बजट अंश श्री मो0 आजम खां- जनपद रामपुर के तोपखाना गेट पर एक स्कूटर सवार व्यक्ति के आंख में मिर्ची डाल कर एक लाख रुपये लूटे जाने की घटना के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि यह प्रकरण पूरी तरह से असत्य पाया गया है और यह एक्सपोज कर दिया गया है। विचारोपरान्त समिति ने आश्वासन को ड्राप किया।

		गृह (पुलिस)-	
176/2010	11-2-2010 नियम-56 श्री प्रमोद तिवारी- भारत ने नेपाल सीमा पर प्रदेश में माओवादियों की घुसपैठ एवं उनके द्वारा पशुओं को उठाने एवं जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादियों की घुसपैठ एवं उनके द्वारा पशुओं के उठाने एवं जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। समिति ने इस निर्देश के साथ आश्वासन को ड्राप किया कि नेपाल सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाय एवं भारत सरकार के साथ पत्राचार किया जाय।
		गृह (पुलिस) विभाग	
177/2010	11-2-2010 नियम-56 श्री श्यामदेव राय चौधरी- राज्य में साइबर कैफों द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों को रोकने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 19-9-2012 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इस हेतु दो साइवर क्राइम यूनिटों की स्थापना की गई है एवं जोनल पर साइवर क्राइम यूनिट खोलने पर विचार चल रहा है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-6	
25/2001	14-2-2011 अतारांकित-56 श्री आलोक कुमार शाक्य- प्रदेश में चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने की योजना का कार्यान्वयन।	विचाराधीन है।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि यह धनराशि रु0 1000/- से बढ़ाकर रु0 1500/- कर दी गई है। इसका शासनादेश वर्ष 2013 में जारी हो चुका है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

1	2	3	4
		गृह (पुलिस)-	
141/2011	8-8-2011 नियम-300 श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित- श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पण्डित तथा कुं0 रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'' स0वि0स0 की सुरक्षा के संबंध में।	मैं दिखवा लूंगा।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि भगवान शर्मा को दि0 13-6-2012 से वाई श्रेणी एस्कोर्ट सहित सुरक्षा शासन द्वारा अनुमन्य की गई है। वर्तमान में अब दोनों मा0 सदस्य सरकार में मंत्री पद पर आसीन हैं और उन्हें प्रोटोकाल के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।
		गृह (पुलिस)-3	
215/2012	26-11-2012 तारांकित-9 श्री सुरेश राणा, श्री जाकिर अली, श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं डा0 धर्मपाल सिंह- प्रदेश में अपराधों में बेतहाशा वृद्धि के लिये सरकार द्वारा ठोस एवं कारगर नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में।	कार्य-योजना बनाई गई है।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि समिति की बैठक के उपरान्त एक विस्तृत कार्य-योजना पुलिस, महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार कराई गई, इसे समस्त जनपदीय पुलिस अधिकारियों को तत्संबंधी आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं तथा उसके अनुपालन की समीक्षा की जा रही है। समिति ने उक्त से संतुष्ट होकर आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)-12

249/2012	26-11-2012 अतारांकित-138 श्री सुरेश कुमार खन्ना- जनपद शाहजहांपुर में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु सरकार की कार्य योजना के सम्बन्ध में।	अपराध स्थिति नियंत्रण में है।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि ए0डी0जे0 श्री रितेश चन्द्र अवस्थी ने भी इसमें एक कार्य योजना बनाई है जिसमें कम्युनिटी पुलिसिंग और गांव स्तर पर चौकीदार की व्यवस्था को भी ऐक्टिवेट किया जा रहा है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

गृह (पुलिस)

291/2012	27-11-2012 नियम-300 श्री मनीष असीजा- दिनांक 16-11-2012 को फिरोजबाद में एक ट्रक से हुई 6 लोगों की मौत के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री मनीष असीजा की नियम-300 के अन्तर्गत सूचना पर कार्यवाही की मांग।	कार्यवाही की जायेगी।	दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में साक्ष्य के अवसर पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि संबंधित ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया है। चार्जशीट की कार्यवाही की गई है। इसमें श्रम विभाग ने पांच लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है। समिति ने विचारोपरान्त आश्वासन को ड्राप किया।

पी0एस0यू0पी0-एल0 40 विधान सभा (68)-16-6-2015-650 प्रतियां।